न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/330

वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा तहसील पीपल्दा कोटा राज0।

– अपीलांट

बनाम

1. खेमराज पुत्र रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
2. चन्द्रकला पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
3. गायत्री पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
4. नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
5. प्रमिला पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
6. संतोष पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
7. ममता पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
8. भूली पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
9. ग्यारसी बाई पत्नी कालूलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–

1. श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 लगायत्त 9 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 30.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपीले अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 41/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि राज्य शासन द्वारा जरिये मिसल संख्या 341 दिनाँक 13.12.1961, ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि वादीगण के पितृ पुरूष श्री कालू पुत्र लालू जाति कुम्हार निवासी नीमोदा को आवंटित की

गई थी। आवंटित की गई भूमि पर लालू को दखल दिया जाकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। कालान्तर में श्रीमान् जिलाधीश (उपनिवेशन) महोदय द्वारा आवंटित भूमि पर कालू को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। इस प्रकार कालू उपरवर्णित भूमि का प्रतिज्ञ खातेदार हो चुका था। उक्त भूमि आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है। भू–प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के फलस्वरूप उक्त भूमि के नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 है0 पैमूद किए गऐ। भू–प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के उपरान्त गत खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि जो है० में 1.08 है0 होती है, के स्थान पर का नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 है0 पैमूद कर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज कर दिया। जबकि कालू एवम् उनके मरणोपरान्त वादीगण, आवंटनशुदा रकबे के मुताबिक ही मौके पर खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है0 भूमि पर वर्तमान तक शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि मनमाने, अवैध एवम् अधिकारातीत तरीके से वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, जरिये नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 30.12.2006 प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर दी गई। जबकि वादीगण मौके पर विवादित खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि पर वर्तमान में भी शांति पूर्वक काबिज काश्त है। कालू की मुत्यु हो चुकी है एवम् वादीगण उनके विधिक प्रतिनिधि है। भू–प्रबन्धन विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की गत खसरा संख्या 149 की रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो हैक्टेयर में 1.08 है0 होती है।) को प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज करे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार वादीगण की खातेदारी की गत खसरा संख्या 149 की रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो हैक्टेयर में 1.08 है0 होती है।) को प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर खाते दर्ज करे। इस प्रकार विवादित भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया आवंटन प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य प्रभावी है। जबकि वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है० भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाऐं। प्रतिवादी क्रम 2 विवादित भूमि में स्वयं के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि पर से वादीगण को वंचित कर जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा इस वर्ष माह मई में वादीगण को विवादित भूमि पर स्वयं की खातेदारी का लाभ उठाकर उसे बेदखल करने की धमकी दी गई। इस परिस्थिति में वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा

1.08 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को प्रदान किया जावे। प्रतिवादी क्रम 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेड़ा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 333 रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री की प्रति प्राप्त कर कानूनी राय प्राप्त कि गयी बाद निर्णय व राय वन विभाग द्वारा दि० 26.07.2023 को पत्र प्रेषित किया जिस पर दि० 20.08.2024 को जयपुर से अपील करने हेतु पत्र भेजा गया व दिनांक 18.10.2024 को डीएफओ कोटा द्वारा अपील करने हेतु क्षेत्रीय वन अधि कारी इटावा को अधिकृत किया गया व राजकीय अधिवक्ता द्वारा नियुक्ति नही होने से विलम्ब हुआ है, जिसे डिले कण्डोन किये जाते हुए अपील अन्दर मियाद पेश हे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर निवेदन हे कि अपील प्रस्तुत करने तक जो देरी हुई है को डिले कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद का निर्णय बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना अपीलान्ट को सुने किया गया, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। वादीगण ने अधनीस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपा कर वाद प्रस्तुत किया गया है रेस्पो० के पूर्वजों को खसरा नं0 149 भूमि से आवंटन नही हुआ है, बल्कि खसरा नम्बर 420/117 की भूमि का आवंटन हुआ है, खसरा नम्बर 420/117 का सम्पूर्ण रकबा वन विभाग के नाम खाते दर्ज है। जिस खसरा नम्बर का वाद लेकर आये है वह सम्पूर्ण खसरा नोटिफिकेशन से वन विभाग के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 333 भी वन विभाग के नाम दर्ज खसरा से ही बना है। रेस्पो० रतन के विरूद्ध खसरा नम्बर 333 के अतिकमी होनें का राजस्व विभाग द्वारा 91 का नोटिस प्रेषित किया हुआ है, जिस समय खसरा नम्बर 333 की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गयी भूमि की किस्म बन्जड थी, भूमि काबिल काश्त नही थी। प्रस्तुत वाद में उल्लेखित खसरा नम्बर 149 का कुल क्षेत्रफल राजस्थान राज पत्र के अनुसार 50 बीघा 16 बिस्वा नियत है। जो राजस्थान राज पत्र की अनुसूचि (वन भूमि बन्जर भूमि) द्वितीय अनुसूचि (संरक्षित वन) में दर्ज हे। एवं वाद पत्र में वर्णित खसरा 149 का नवीन खसरा सं० 333 बनाया गया है, वह राजस्व रिकोर्ड के मुताबिक गलत है, उक्त खसरा सं० 149 के नवीन खसरा सं0 292, 293 से है, इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित हाल खसरा संख्या 333 दर्शाया गया है व गत खसरा नं0 117, 147, 148 से बना है जो भी नोटिफिकेशन से वन विभाग के नाम दर्ज है व खसरा नं० 333 वर्तमान में गेर मुमकिन जंगलात दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो के केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना वन विभाग की भूमि को गैर वानिकी कार्य में उपयोग नही किया जा सकता। वन विभाग या सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद जेरकार करनें से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस आज्ञापक प्रावधान है जिसकी अवहेलना की गयी है, इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही किया है व निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार

इटावा

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं पक्षकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पितृपुरूष कालू पुत्र लालू की आवंटनशुदा भूमि है जो उनको राजस्थान सरकार द्वारा मिसल संख्या 341 दिनांक 13.12.1961 से आवंटित की गई है। आवंटी को आवंटनशुदा भूमि का दखल दिया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। जिलाधीश उपनिवेशन के द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार आवंटी कालू को प्रदान किए जा चुके है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 के पश्चात आवंटनशुदा आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा(1.08हैक्टैयर) का नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर कायम करते हुए सिवायचक दर्ज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 30.12.2006 के द्वारा अवैध रूप से वन विभाग अपीलांट के खाते दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 333 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का गत खसरा नम्बर 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा था जो उनके पूर्वज कालू पुत्र लालू की आवंटनशुदा भूमि है जो कालू को मिसल संख्या 341 दिनांक 13.12.1961 द्वारा आवंटित हुई है तथा प्रश्नगत आवंटनशुदा भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण का वादपत्र में आगे कथन रहा है कि भू–प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 के पश्चात प्रश्नगत आवंटनशुदा गत खसरा सख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर कायम किया जाकर अवैध रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 30.12.2006 के द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि को वन विभाग के खाते दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने अपने कथनों के समर्थन में आवंटन पत्रावली प्रस्तुत की है। आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.12.1961 में ग्राम खेड़ा की खसरा संख्या 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि कालू पुत्र लालू कोम कुम्हार सा. नीमोदा को आवंटित किए जाने का अंकन है। आवंटन पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.02.1971 में आवंटनशुदा भूमि की सम्पूर्ण रकम जमा होने तथा आदेशिका दिनांक 01.03.1979 में आवंटनशुदा खसरा सख्या 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कालू पुत्र लालू को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने तथा सनद जारी होने का आदेश अंकित है। साथ ही वादीगण द्वारा खातेदारी सनद, दखलनामा भी पेश किए गए है जिनके अवलोकन से आवंटी कालू को प्रश्नगत खसरा संख्या 420/117 आवंटनशुदा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होना तथा आवंटनशुदा भूमि का मोके पर कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रकट होता है। अतः हमारे मत में वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज कालू को गत खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटित नहीं होकर खसरा नम्बर 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है जबकि वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा गत खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा भूमि को स्वयं की आवंटनशुदा भूमि होना बताकर हक घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किए जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

है। अतः केवल मौखिक कथन के आधार पर प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत गत खसरा संख्या 149 का कोई मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं को हाल खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की आवंटनशुदा भूमि होने तथा काबिज होने का कथन किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 117मि. 147मि. व 148मि. से मिलकर बना है जो वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि नहीं है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रश्नगत आवंटनशुदा खसरा सख्या 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का भू-प्रबन्ध के पश्चात खसरा नम्बर 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर कायम किया गया है तथा अपने इस कथन के समर्थन में वादीगण अपीलांटगण की ओर से मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 की सत्य प्रतिलिपि पेश की है। उक्त मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रश्नगत खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर गत खसरा संख्या 117मि. रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 147मि. व खसरा संख्या 16 रकबा 18 बिस्वा से मिलकर बना होना अंकित है जो वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि नहीं है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं को आवंटित प्रश्नगत खसरा नम्बर 420/117 का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि उसको आवंटित गत खसरा संख्या 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से बना होना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत खसरा संख्या 420/117 की भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज कालू को आवंटित हुई है परन्तु प्रश्नगत खसरा संख्या 420/117 का सम्पूर्ण रकबा वन विभाग के खाते दर्ज है तथा जिस खसरा संख्या 333 को अपीलांट द्वारा स्वयं की आवंटनशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि होने का कथन किया गया है, उक्त खसरा संख्याा 333 की भूमि भी वन विभाग के खाते दर्ज है तथा हाल खसरा संख्या 333 भी वन विभाग के खाते दर्ज गत खसरा नम्बरान 117, 147 व 148 से मिलकर बना है। अपीलांट का कथन है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण प्रश्नगत खसरा संख्या 333 की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिन्हें धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बेदखल किया जाता रहा है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060, नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 01.11.2006, नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956, नक्शा आंशिक, गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.02.1985 दस्तावेज प्रस्तुत किए है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.02.1985 के द्वारा ग्राम खेड़ा दुर्जनपुरा की प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 117 रकबा 35 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 रकबा 50

बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 148 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि सरंक्षित वन घोषित किए जाने का अंकन है। अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा जिस प्रश्नगत खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 हैक्टेयर भूमि में से 1.08 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की आवंटनशुदा भूमि होने का कथन किया गया है, उक्त खसरा नम्बर 333 वन विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बरान 117, 147 व 148 से मिलकर बना है। हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य न्यायालय हाजा के संज्ञान में आया है कि गत खसरा नम्बर 149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि नहीं है, वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि खसरा गत खसरा संख्या 420/117 की रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि है जो दिनांक 13.12.1961 को आवंटित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत खसरा संख्या 333 की भूमि को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा भूमि होना प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 में अंकित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आवंटनशुदा प्रश्नगत गत खसरा संख्या 420/117 की भूमि की किस्म वक्त आवंटन माल चहारूम दर्ज रिकॉर्ड होना प्रकट होता है। गत खसरा संख्या 117 की सम्पूर्ण भूमि गजट नोटिफिकेशन की दिनांक 13.02.1985 को वन भूमि के रूप में दर्ज की गई परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 13.12.1961 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण को प्रश्नगत गत खसरा संख्या 420/117 की भूमि आवंटित हो चुकी थी। परन्तु वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रश्नगत आंवटित गत खसरा संख्या 420/117 की भूमि का कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण गत खसरा नम्बर 420/117 की भूमि के हाल खसरा नम्बरान क्या बने है, इसका निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण स्वयं को आवंटित गत खसरा संख्या 420/117 की भूमि पर वर्तमान में उसी स्थान पर काबिज काश्त है अथवा नहीं इसका निर्धारण भू–प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों की संयुक्त टीम के द्वारा गत राजस्व नक्शे को वर्तमान राजस्व नक्शे से अध्यारोपित करने के पश्चात मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किया जाना संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात भी कायम नहीं की गई है अतः हमारे मत में वादीगण रेस्पोडेन्टगण को अपनी आवंटनशुदा भूमि में स्वयं के हक अधिकारों को प्रमाणित करने हेतु समुचित तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इटावा

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 41/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2023 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा